अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

नन्दलाल बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : अपील सं. 194/2014 एल.आर. एक्ट
(जीसीएमएस संख्याः 2013/00030)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट्स अनुपस्थित। अपीलांट्स अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट्स एवम् अपीलान्ट्स के नाम रुक–रुक कर आवाज लगवाई गयी। बार–बार आवाज लगवाये जाने के बावजूद अभिभाषक अपीलान्ट अथवा स्वयं अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस न्यायालय में यह अपील वर्ष 2013 से विचाराधीन चल रही है, जिसमें रेस्पोन्डेंट सं. 1, 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 30–9–2013 से पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक रेस्पोन्डेंट सं. 1, 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन स्थगन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् उनके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं. 1, 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः यह अपील अपीलान्ट्स अदम हाजरी, अदम पैरवी एवम् अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 08–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । संभागीय आयुक्त बीकानेर	

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर (seal)